सभी पत्र भारत सरकार उद्योग मंत्रालय को पदनाम से भेजे जाने चाहिए, नाम से नहीं।
फैक्स: 011-23062626

सं. 10(3)/2011-डीबीए-II/एनईआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
उद्योग भवन, नई दिल्ली 110011
दिनांक 16 जुलाई, 2014

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला-171001

विषय: परिवहन राजसहायता योजना (टीएसएस) 1971/मालभाड़ा राजसहायता योजना (एफएसएस) 2013 के तहत दावों की छानबीन हेतु जांच सूची-सरलीकरण के संबंध में।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर उद्योग निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र सं-1-7/2013 औद्योगिक विकास एफएसएस (2) के संदर्भ में यह सूचित करना है कि किसी पात्र औद्योगिक इकाई की टीएसएस, 1971 के तहत राजसहायता का दावा करने के लिए पूर्व पंजीकरण की शर्त को माफ करने से संबंधित मुद्दे की जांच इस विभाग में एकीकृत वित्त स्कंध (आईएफ विंग) और मुख्य लेखा नियंत्रक, औ. नी. एवं सं. विभाग के साथ परामर्श करके की गई है।

2. टीएसएस, 1971 पर अधिसूचना के पैरा 6(xv) के अनुसार, संबंधित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के उद्योग निदेशालय को परिवहन राजसहायता के लिए पात्र औद्योगिक इकाइयों के पूर्व पंजीकरण की एक प्रणाली निर्धारित करनी है और ऐसे पंजीकरण करते समय उद्योग निदेशालय को ऐसी इकाइयों की क्षमता निर्धारित करनी और दर्शानी आवश्यक है। तथापि, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसी इकाइयों के पूर्व

पंजीकरण की कोई प्रणाली निर्धारित नहीं की है जो इस योजना अधिसूचना का उल्लंघन है। इसके अलावा, सीएंडएजी द्वारा अपनी निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर इस विभाग ने 15.11.2010 से टीएसएस, 1971 के तहत राजसहायता का दावा करने के लिए पूर्व पंजीकरण की शर्त से छूट प्रदान करने की एसएलसी की शक्तियों को वापस ले लिया है।

3. अत: विभाग का मत है कि राज्य सरकारों के द्वारा पंजीकरण में विलंब का किसी एक राज्य अर्थात विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश के संबंध में छूट दिए जाने पर विचार करने के लिए उस स्थिति में कोई पर्याप्त औचित्य नहीं है, जबकि यह शर्त अन्य लाभार्थी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लागू की जा रही है। विभाग का यह भी मत है कि इस योजना के तहत पंजीकरण का मुद्दा और ईएम-I/आईईएम-I का पंजीकरण की कुछ विशिष्ट अपेक्षाएं प्रतीत होती हैं, हालांकि कुछ पहलुओं में वे समान हो सकती हैं।

4. तदनुसार, अनंतिम पंजीकरण जारी करने की तारीख, टीएसएस, 1971 के तहत पंजीकरण की तारीख के रूप में ईएम-I/आईएम-I पर विचार करने, जिससे इकाइयां उत्पादन शुरू करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक टीएसएस, 1971 के तहत राजसहायता का दावा करने के लिए पात्र हो जाएं, संबंधी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। टीएसएस, 1971 के तहत लाभों का दावा करने के लिए किसी भी औद्योगिक इकाई के पंजीकरण में विलंब के मामले में लाभ इस योजना के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ऐसे पंजीकरण की तारीख से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच वर्ष की शेष पात्रता अवधि तक मंजूर किए जाएं।

भवदीय,

(अरूण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:23063096

प्रति-

1. प्रधान सचिव (उद्योग)/सचिव (उद्योग), असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल सरकार तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र।
2. उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और पश्चिम बंगाल सरकार तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघशासित क्षेत्र।
3. सीएमडी, एनईडीएफआई/एमडी, जेकेडीएफसी/एमडी, एचपीएसआईडीसी/एमडी, एसआईडीसीयूएल
4. एनआईसी, उद्योग भवन डीआईपीपी को एक स्कैन की हुई प्रति सहित वेबसाइट पर डालने के लिए।

(अरूण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:23063096